इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2016—फाल्गुन 6, शक 1937

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्र. एफ 15-05-2015-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आरक्षित वनों में मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ .—**

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 है ;

(ख) ये नियम आरक्षित वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित आरक्षित वन क्षेत्र को छोड़ कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे ;

(ग) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ;

2. **परिभाषाएं .—**

(क) **"कैम्पिंग"** से अभिप्रेत है ऐसा स्थान जहां आवास एवं भोजन हेतु अस्थायी तम्बू अथवा झोपड़ियां बनाई गई हों ;

(ख) **"कैम्पिंग तम्बू"** से अभिप्रेत है ऐसा संवहनीय आश्रय जो कपड़े से बना हुआ, एक या एक से अधिक खम्भों से टिका हुआ और जमीन में स्थापित खूंटे से जुड़ी रस्सी अथवा किनारों से कस कर बनाया गया हो ;

(ग) **"कैम्पिंग झोपड़ी"** से अभिप्रेत है ऐसा अस्थाई आश्रय जो लकड़ी अथवा मिट्टी से बना हो जिसमें पेड़ो की शाखाओं पर निर्मित आश्रय भी सम्मिलित हैं ;

(घ) **"वानिकी वर्ष"** से अभिप्रेत है एक जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि ;

(ङ) **"सरकार"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार ;

(च) **"अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति ;

(छ) **"मचान"** से अभिप्रेत है लकड़ी से बना अस्थाई मंच जिसका उपयोग वन क्षेत्र में प्राकृतिक सौन्दर्य एवं वन्यप्राणी दर्शन हेतु किया जाता हो ;

(ज) **"प्रकृति पथ"** से अभिप्रेत है रूचिकर वनस्पति, प्राणी तथा अन्य फीचर्स की ओर पथिकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु आशयित वन क्षेत्र से गुजरने वाला पथ ;

(झ) **"पैगोडा"** से अभिप्रेत है एक छत्रयुक्त अस्थाई विश्राम स्थल ;

(ञ) **"अनुज्ञा पत्र"** से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन मंजूर किया गया अनुज्ञा पत्र;

(ट) **"मनोरंजक गतिविधियों"** में सम्मिलित हैं, कैंपिंग, ट्रेकिंग, हाईकिंग, बोटिंग, फोटोग्राफी, जिप–लाइनिंग, प्रकृति पथ, बर्ड वाचिंग, वन्य प्राणी सफारी, साइकिलिंग, पिकनिक, वाटर क्रूज और ऐसी ही अन्य गतिविधियां ;

(ठ) **"मनोरंजन क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, आरक्षित वन के भीतर नियम 3 में यथा अधिसूचित क्षेत्र ;

(ड) **"मनोंरजन सुविधाओं "** में सम्मिलित हैं कैफेटेरिया, कैंपिंग हट या टेंट, मचान, पैगोडा, सिट आउट, बोट जेटीस, सोबेनियर शाप, पर्यटक केन्द्र पार्किंग क्षेत्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराती हों ;

(ढ) **"रोड सफारी"** से अभिप्रेत है वन्यप्राणी दर्शन के प्रयोजन से वन क्षेत्र में आवागमन हेतु वाहन का उपयोग;

(ण) **"सिट आउट्स"** से अभिप्रेत है अस्थाई विश्राम सुविधा ;

(त) **" ट्रेकिंग"** से अभिप्रेत है प्राकृतिक सौन्दर्य अथवा अन्य सांस्कृतिक एवं मार्ग की सौन्दर्यात्मक विशेषताओं का आनंद लेने के प्रयोजन से, बिना किसी वास्तविक कामकाज के वन क्षेत्र में पैदल भ्रमण अथवा वहां अन्यथा उपस्थित रहना ;

(थ) **"जल संरचना"** में कोई जल मार्ग, जलाशय, नदी, झील, धारा एवं तालाब, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक जलीय भूमि सम्मिलित है;

(द) **"जल विहार"** से अभिप्रेत है किसी जल संरचना में यांत्रिक अथवा अन्यथा चलित नौका द्वारा विहार करते हुए आसपास के नैसर्गिक सौन्दर्य एवं वन्यजीव का आनंद लेना;

(ध) **"वन्यप्राणी अनुभव"** से अभिप्रेत है वन्य प्राणियों की गतिविधियों को वनों में उनके प्राकृतिक रहवास में अवलोकन करना ; और

(न) **"वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र"** से अभिप्रेत है किसी आरक्षित वन के भीतर नियम 4 में यथाअधिसूचित क्षेत्र।

3. **मनोरंजन क्षेत्र.–**

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी आरक्षित वन के भीतर यदि उसका यह विचार है कि लोगों को उस क्षेत्र में मनोरंजन के प्रयोजन से ऐसी शर्तों एवं शुल्क के भुगतान पर, जैसा कि समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, भ्रमण का अधिकार होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र को मनोरंजन क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित अधिसूचना में, जितना निकटतम संभव हो क्षेत्र की स्थिति एवं सीमाएं विनिर्दिष्ट होंगी।

4. **वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र.–**

(1) राज्य सरकार, यदि उसका यह विचार है कि लोगों को उस क्षेत्र में वन्यप्राणियों को उनके प्राकृतिक रहवास में अवलोकन करने के उद्देश्य से, ऐसी शर्तों एवं शुल्क के भुगतान पर, जो कि समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, भ्रमण का अधिकार होना चाहिए, अधिसूचना के द्वारा आरक्षित वन के भीतर किसी भी क्षेत्र को वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) उप धारा (1) में संदर्भित अधिसूचना में जितना निकटतम संभव हो, ऐसे क्षेत्र की स्थिति व सीमाएं विनिर्दिष्ट होंगी।

5. **मनोरंजन सुविधाएं.—**

(1) संभागीय वन अधिकारी, यथास्थिति मनोरंजन क्षेत्र या वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्रों में मनोरंजन अथवा वन्यप्राणी अनुभव को सुविधाजनक बनाने हेतु व्यावसायिक इकाई के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा वह उपयुक्त समझे, उपाय करेगा।

(2) संभागीय वन अधिकारी, विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मनोरंजन सुविधाओं के, जिनमें रोड सफारी, जल विहार, स्वल्पाहार केन्द्र, कैंपिंग सुविधाएं सम्मिलित हैं, विकास एवं संचालन अथवा संचालन को सुगम बनाने के उपाय कर सकेगा ।

6. **प्रवेश अनुज्ञा—पत्र.—**

(1) कोई भी व्यक्ति या वाहन, संभागीय वन अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इन नियमों में सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार एवं ऐसी फीस के संदाय पर जारी वैध अनुज्ञा के बिना, मनोरंजन क्षेत्र अथवा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

(2) प्रवेश अनुज्ञा—पत्र व्यक्तिगत, अहस्तांतरणीय एवं एक बार अथवा अनुज्ञा—पत्र में उल्लेखित अवधि में प्रवेश के लिए वैध होगा।

(3) संभागीय वन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, जहां वन्यप्राणी अथवा मनुष्यों की सुरक्षा हेतु ऐसा करना आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट समयावधि हेतु प्रवेश रोक सकेगा।

7. **प्रवेश शुल्क.—**

(1) किसी मनोरंजन क्षेत्र अथवा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में प्रवेश शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी —

तालिका–1

अ. क्र.	क्षेत्र का प्रकार	पैदल / साईकिल भ्रमण		दो पहिया वाहन		हल्के मोटरयान (जीप, कार, जिप्सी अधिकतम 08 व्यक्तियों की बैठक क्षमता सहित)		मिनी बस	सामान्य बस
		भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र	अनुमति नहीं		अनुमति नहीं		रू. 100	रू. 250	अनुमति नहीं	
2.	मनोरंजन क्षेत्र	रू. 10	रू. 20	रू. 25	रू. 50	रू. 100	रू. 250	रू. 250	रू. 500

टिप्पणी –

(1.) वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में पैदल, साइकिल भ्रमण अथवा दो पहिया वाहन अथवा बस द्वारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(2) उक्त तालिका में उल्लेखित शुल्क की दर पैदल एवं साइकिल भ्रमण हेतु एक व्यक्ति के लिए है जबकि मोटरगाड़ियों की दशा में प्रति मोटरगाड़ी के लिए है।

(3) 20 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने की अनुमत क्षमता की बस को मिनी बस माना जावेगा।

(4) प्रवेश शुल्क के संदाय करने पर व्यक्ति या वाहन केवल संभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के एकत्रण क्षेत्र अथवा वाहनों के पार्किंग स्थान तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात होंगे।

(5) किसी वाहन में विभिन्न राष्ट्रीयता के व्यक्तियों के होने पर विदेशियों के लिए निर्धारित शुल्क दर लागू होगी।

(6) प्रवेश अनुज्ञा–पत्र निरस्त होने की स्थिति में टिकट की 20 प्रतिशत राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क काटा जावेगा।

(2) पालकों के साथ भ्रमण पर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

8. **गतिविधि शुल्क.–**

नियम 7 के अनुसार देय प्रवेश शुल्क तथा किसी मनोरंजन सुविधा के उपयोग हेतु उस सुविधा के संचालक को देय राशि के अतिरिक्त यथास्थिति मनोरंजन क्षेत्र या वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में निम्न तालिका के अनुसार गतिविधियों हेतु अधिसूचित दरों पर, सरकार को फीस देय होगी, अर्थात् :–

तालिका–2

अ.क्र.	प्रवेश का उद्देश्य	भारतीय	विदेशी	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	कैम्पिंग	रू. 50	रू. 100	प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि
2.	वाहन द्वारा वन्यप्राणी दर्शन	रू. 50	रू. 100	प्रति व्यक्ति प्रति फेरा
3.	वाटर क्रूज	रू. 50	रू. 100	प्रति व्यक्ति प्रति फेरा

टिप्पणी–

1. उपरिलेखित दरें वानिकी वर्ष 2015–16 के लिए लागू होंगी।
2. यदि वाहन में विभिन्न राष्ट्रीयता के व्यक्ति भ्रमण करते हैं, तो विदेशी व्यक्तियों हेतु निर्धारित दरें लागू होंगी।
3. संभागीय वन अधिकारी नियमित रूप से वन्यप्राणी दर्शन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों तथा वाहन चालकों के पंजीयन का प्रावधान कर सकेंगे। यदि वाहन तथा वाहन चालक संभागीय वन अधिकारी द्वारा पंजीकृत है तो वाहन चालक को वाहन में अनुज्ञात यात्रियों की संख्या की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
4. अनुज्ञा पत्र में सूचीबद्ध सभी आगन्तुकों को पहचान–पत्र रखना अनिवार्य होगा। अनुज्ञा–पत्र, इसमें सूचीबद्ध, आगंतुकों की पहचान सुनिश्चित न हो पाने पर निरस्त कर दिया जाएगा।
5. वन्यप्राणी दर्शन एवं नौकायन के लिए प्रत्येक फेरे की अवधि मनोरंजन क्षेत्र अथवा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के संभागीय वन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी।
6. आगंतुक उनके स्टिल अथवा वीडियो कैमरा फेरे की उक्त निर्धारित अवधि में उपयोग करने हेतु निःशुल्क अनुज्ञात हैं।

7. वन्यप्राणी अनुभव के लिए मार्ग खुले रखे जावेंगे तथा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में इन मार्गों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या की अनुमति स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संभागीय वन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी।

8. ऐसे वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र, जहां ऑनलाईन बुकिंग सुविधा है, वहां पूर्व से बुक टिकट में, वाहन में स्थान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त आगन्तुकों का नाम ऑनलाईन अथवा प्रवेश द्वार पर का भी इस शर्त के साथ जोड़ा जा सकेगा कि प्रत्येक नया नाम जोड़ने के लिए रू 20 प्रति भारतीय तथा रू. 50 प्रति विदेशी आगन्तुक शुल्क प्रभारित होगा।

9. भारत के पंजीकृत विदेशी नागरिकों तथा सार्क देशों के नागरिकों से स्थानीय देशी आगन्तुक से मनोरंजन क्षेत्रों के भ्रमण हेतु लिए जाने वाले प्रवेश अथवा गतिविधि शुल्क के बराबर फीस प्रभारित की जावेगी।

10. विनिर्दिष्ट मार्गों पर ट्रेकिंग/साइकिल भ्रमण हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

9. **वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में प्रतिबंध.–**

(1) वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के लिए 16 जून से 30 सितम्बर तक की अवधि प्रतिबंधित अवधि रहेगी एवं वानिकी वर्ष की शेष अवधि वन्यप्राणी अनुभव जिसमें छायांकन सम्मिलित होगा, के लिए खुली अवधि रहेगी।

(2) वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में केम्पिंग की अनुमति नहीं होगी।

(3) सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में रोड सफारी एवं वाटरक्रूज अनुज्ञात नहीं होगा।

10. **आय का उपयोग.–**

चूंकि वनों तथा वन्यप्राणियों के रहवासों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अतः मनोरंजन क्षेत्र अथवा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय का निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाएगा,–

(क) मनोरंजन क्षेत्र के भीतर वनों की सुरक्षा एवं विकास ;

(ख) मनोरंजन क्षेत्र में मनोरंजन सुविधाओं का विकास एवं उनका रखरखाव; और

(ग) स्थानीय समुदाय का कल्याण।

11. आगन्तुकों के कर्तव्य.–

कोई भी व्यक्ति, किसी मनोरंजन क्षेत्र में, किसी वृक्ष, पुल, चट्टान, फेंसिंग, सीट, सूचना पटल, कचरा पेटी या अन्य किसी वस्तु अथवा स्थान को न तो नष्ट करेगा, न हानि पहुंचाएगा और न ही उन पर किसी प्रकार के लेख अथवा संकेत चिन्ह लिखकर उन्हें विकृत करेगा।

No. F-15-05-2015-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following rules for recreation and wildlife experience in reserve forests, namely:—

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015.

(2) They shall extend to the whole State of Madhya Pradesh except the reserve forest area which falls under any Sanctuary or National Park notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Camping"** means a place where camping tents or camping huts are made for temporary lodging and boarding;

(b) **"Camping tents"** means a portable shelter made up of cloth, supported by one or more poles and stretched tight by cords or loops attached to pegs driven into the ground;

(c) **"Camping huts"** means a temporary shelter made through materials such as wood or mud, including tree top huts;

(d) **"Forestry Year"** means the period beginning from 1st July and ending on 30th June;

(e) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;

(f) **"license"** means a license granted under these rules;

(g) **"Machaan"** means a platform made of wood used for watching natural beauty or wild animals in a forest area;

(h) **"Nature Trail"** means a path through the forest area that is intended to attract the walkers attention to interesting plants, animals and other features.

(i) **"Pagoda"** means a temporary rest area with canopy;

(j) **"Permit"** means a permit granted under these rules;

(k) **"Recreational activities"** include camping, trekking, hiking, boating, photography, zip-lining, nature trails, bird watching, wildlife safari, cycling, picnicking, water cruise and other such activities.

(l) **"Recreational area"** means an area within any reserve forest as notified under rule 3;

(m) **"Recreational facilities"** include cafeteria, camping huts or tents, machaan, pagoda, sit out, boat jetties, souvenir shop, tourist centre, parking area and other such activities that provide services to the tourists;

(n) **"Road Safari"** means the use of a vehicle for movement in the forest area for the purpose of observing wild animals;

(o) **"Sit outs"** means the temporary resting facility;

(p) **"Trekking"** means walking (or being otherwise present) in the forest area, for the purpose of enjoying the natural beauty or other cultural and aesthetic features of the tract, without having any bona fide business in that general location;

(q) **"water body"** includes any water channel, reservoir, river, stream and lake, whether artificial or natural, and wet land;

(r) **"Water cruise"** means movement in a water on a boat, propelled mechanically or otherwise, with a purpose to enjoy the surrounding scenic beauty or wild-life;

(s) **"Wildlife experience"** means observing the activities of wild animals in their natural habitat in forests; and

(t) **"Wildlife experience area"** means an area within any reserve forest as notified under rule 4.

3. Recreational Areas.-

(1) The State Government may, by notification, declare any area comprised within any reserve forest as a recreational area if it considers that people shall have the right of access to that area for the purpose of recreation on such conditions and payment of fees, as may be notified, from time to time.

(2) The notification referred to in sub-section (1) shall specify, as nearly as possible, the situation and limits of such area.

4. Wildlife Experience Areas.-

(1) The State Government may, by notification, declare any area comprised within any reserve forest as a wildlife experience area if it considers that people shall have the right of access to the area for the purpose of observing wild animals in their natural habitats on such conditions and payment of fees, as may be notified, from time to time.

(2) The notification referred to in sub-section (1) shall specify, as nearly as possible, the situation and limits of such area.

5. Recreational Facilities.-

(1) The Divisional Forest Officer shall take such measures as he deems desirable to facilitate, either directly or indirectly through any business entity, recreation or wildlife experience in the recreation area or the wildlife area, as the case may be.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Divisional Forest Officer may take measures to develop and operate or to facilitate the operation of, the recreational facilities including road safari, water cruise, cafeteria, camps, etc.

6. **Entry permit.-**

(1) No person or vehicle shall enter any recreational area or wildlife experience area for the purpose of recreation without a valid permit issued by the Divisional Forest Officer or by an officer authorized by him for this purpose, as per the conditions and on payment of such fees to the Government, as may be notified in these rules.

(2) Entry permit shall be individual, non-transferable and valid for one time entry or for the period mentioned in the entry permit.

(3) The Divisional Forest Officer or the officer authorized by him may stop the entry for a specific period, under special circumstances, that may warrant such action for the safety of the wildlife or the human beings.

7. Entry fee.-

(1) Rates of entry fee for admission into a recreational area or wildlife experience area shall be as follows:-

TABLE - 1

S. No.	Type of Area	On Foot/Cycle		Two Wheeler Vehicles		Light Vehicles (Jeep, Car, Gypsy with maximum seating capacity of 8 persons)		Mini Bus	Standard Bus
		Indian	Foreigners	Indian	Foreigners	Indian	Foreigners		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wildlife experience area	Not Permitted		Not Permitted		Rs.100	Rs. 250	Not Permitted	
2	Recreational Area	Rs. 10	Rs. 20	Rs. 25	Rs. 50	Rs.100	Rs. 250	Rs. 250	Rs. 500

Note

(1) Entry on foot or on cycle or on a two wheeler vehicle or on a bus shall not be permitted into a wildlife experience area.

(2) The rate of fee mentioned above for entry on foot/cycle is for one person where as for automobiles shall be per automobile.

(3) A bus with a permitted sitting capacity of not more than 20 persons shall be treated as a mini bus.

(4) On payment of the entry fee, the person or the vehicle shall be permitted to reach the area approved by the

Divisional Forest Officer for the purpose of assembly of the persons or parking of the vehicles only.

(5) Rates fixed for foreigners shall be applicable, if persons of mixed nationalities are travelling in a vehicle.

(6) In case of cancellation of entry permit, 20% of the ticket amount along with processing charge shall be deducted.

(2) No fee shall be charged for the entry of children up to 5 years of age visiting with their parents.

8. Activity Fee.- In addition to the entry fee payable as per rule 7 and the charge for availing any recreational facility payable to the operator of that facility, fee shall be payable to the Government at the notified rates for experiencing the following activities inside the recreational area or the wildlife experience area, as the case may be, namely:-

Table – 2

S.No.	**Purpose of entry**	**Indian**	**Foreigners**	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Camping	Rs. 50	Rs. 100	Per person per night
2.	Wildlife viewing by vehicle	Rs. 50	Rs. 100	per person per round
3.	Water Cruise	Rs. 50	Rs. 100	per person per round

Note :-1. Rates mentioned above shall be applicable for the forestry year 2015-16.

2. Rates for foreigners shall be applicable, if persons of mixed nationalities are travelling in a vehicle.

3. The Divisional Forest Officer may make the provision for registration of vehicle drivers and vehicles that are coming regularly for wildlife viewing. Drivers shall not be counted in the number of passengers allowed in a vehicle, if the vehicle and the driver is registered with the Divisional Forest Officer.

4. It shall be compulsory to keep the identity proofs of all the visitors listed in the entry permit. Entry permit shall be cancelled if the identities of the persons mentioned in it cannot be ascertained.

5. Duration of one round of wildlife viewing or boating shall be fixed by the Divisional Forest Officer of the recreational area or the wildlife experience area.

6. Visitors are permitted to use their still or video cameras free of cost during such fixed round.

7. Routes to be kept open for wildlife experience and maximum number of vehicles of various types to be permitted on these routes in a wildlife experience area shall be decided by the Divisional Forest Officer according to local circumstances.

8. For those wildlife experience areas, where online ticket booking system is operational, the names of additional visitors may be added online or at the entry gate on the previously booked tickets, if the space is available in the vehicle, on the condition that entry fee of Rs 20 for Indian Visitors and Rs. 50 for foreigners visitors shall be charged for each addition of new name.

9. Registered Overseas Citizens of India and nationals of SAARC countries shall be charged the same entry fee or activity fee as domestic Indian visitors may need to pay to visit recreational areas in India.

10. No additional fee shall be payable for trekking/cycling on designated routes.

Restrictions in a Wildlife Experience Area.-

(1) The period between 16th June and 30th September shall be the prohibited period for wildlife experience area and it shall remain open for wildlife experience including photography for rest of the period of forestry year.

(2) Camping is not permitted in a wildlife experience area.

(3) Road safari and water cruise is not permitted in a wildlife experience area before sunrise and after sunset.

10. Use of Income.- Since the conservation of forests and wildlife habitats therein requires the active support of the local community, the income from the recreational area or the-wildlife experience area shall be utilized for the following purpose, namely:-

(a) protection and improvement of the forest inside the recreational area;

(b) development of recreational facilities in the recreational area and maintenance thereof; and

(c) welfare of the local community.

11. Duties of the Visitors.- No person shall destroy, damage or deface any writing or sign boards etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other article or place, in any recreational area.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.